अत्यावश्यक
नगरपालिका आम/उप चुनाव, 2025

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या—न0नि0 50—28/2025—**2904**

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा0प्र0से0)
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी—सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
(नवादा, औरंगाबाद, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा,
किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई को छोड़कर)।

पटना, दिनांक — **26.05.2025**

विषय :— **नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 : निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम राजकीय गजट में प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 86 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के पास यथाशीघ्र निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन भेजा जाना है।

उक्त परिणाम प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 87 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) नगरपालिका के सभी निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के नाम अपने कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय, नगरपालिका के कार्यालय एवं ऐसे अन्य स्थानों में जो वे उचित समझें, प्रकाशित करेंगे और उसकी इस तरह प्रकाशित नामों की सूची राज्य सरकार को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भी संसूचित करेंगे।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 35 के अंतर्गत नगरपालिका के पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात ही नगरपालिका की प्रथम बैठक संपन्न की जानी है। इसलिए आवश्यक है कि निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम राजकीय गजट में शीघ्रताशीघ्र प्रकाशित हो जाय।

इस संबंध में आयोग का निदेश है कि मतगणना संपन्न होने के **अगले दिन यानि दिनांक 01.07.2025 तक** निकायवार निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय एवं उसकी एक प्रति आयोग को भी दी जाय ताकि विभाग द्वारा निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम राजकीय गजट में ससमय प्रकाशित किया जा सके एवं नगरपालिका की प्रथम बैठक समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सके।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
26/6/25
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50—28/2025— **2904** पटना, दिनांक— 26.06.2025
प्रतिलिपि : आई0टी0मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

26/6/25
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50—28/2025— **2904** पटना, दिनांक— 26.06.2025
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/25
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50—28/2025— **2904** पटना, दिनांक— 26.06.2025
प्रतिलिपि : सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/25
सचिव।

28.6.25